

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 478

दिनांक 28/8/18

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. () / डीओपी / ए-11 / 86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र स	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि अ के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ अजय दिनोदिया	07 07 1991	09 10 2017	08 10 2018	09 10 2018
2	डॉ. हीनू मीना	14 11 1993	16 08 2018	15 08.2019	16 08 2019
3	डॉ रोहित बैरवा	20 06 1994	20.08 2018	19.08 2019	20 08 2019
4	डॉ. पुरुषोत्तम	25.06 1987	16 08 2018	15 08 2019	16 08 2019
5	डॉ राजबाला	03 10.1991	16 08 2018	15 08.2019	16 08 2019
6	डॉ पवन शर्मा	30.05 1990	27.07 2017	26 07 2018	27 07 2018
7	डॉ. कमल कुमार धानिया	01 02.1988	20 08 2018	19 08 2019	20 08 2019
8	डॉ अजीत कुमार	23 12 1989	09 10 2017	08 10 2018	09.10 2018
9	डॉ दिलिप सिंह	06 08 1994	20 08 2018	19 08 2019	20 08 2019
10	डॉ विकास कुमार	26 07 1992	20 08 2018	19 08 2019	20 08 2019
11	डॉ जयेश परमार	09 04 1991	25 07 2017	24 07 2018	25 07 2018
12.	डॉ वशिष्ठ चारण	02.09 1991	14 03.2018	13 03 2019	14 03 2019

(Handwritten signature)

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर


कृ. प उ

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/478

दिनांक 28/8/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए टी प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर